भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं 803

14 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

ऋण समितियों का कमजोर शिकायत निवारण तंत्र

803 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पास राज्य स्तर पर कोई कार्यालय या अधिकारी नहीं है**;**

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य स्तर की शिकायतों के निवारण हेतु कोई तंत्र भी नहीं बना हुआ है**;**

(ग) क्या यह भी सच है कि कमजोर शिकायत निवारण तंत्र के कारण ऋण समितियों ने कई पोंजी योजनाएं बनाई जिसके परिणामस्वरूप जनता को नुकसान हुआ**;** और

(घ) इस संबंध में केन्द्र द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है और राज्यों को दिए जा रहे दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 की धारा 108 के अधीन बहुराज्य सहकारी समितियों की निरीक्षण करने और धारा 84 के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करने की केन्द्रीय पंजीयक की शक्तियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयकों को प्रत्यायोजित की गई है जो केन्द्रीय पंजीयक की ओर से कार्य करते हैं । सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों से जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

(ख) राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतों के मामलों में राज्य पंजीयक द्वारा संबंधित अधिनियम/नियमों के अधीन कार्रवाई की जानी अपेक्षित है ।

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी सामितियां एक स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने या परिपक्वता पर जमाराशि का भुगतान न करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । केन्द्रीय पंजीयक द्वारा 45 बहुराज्य क्रेडिट सहकारी समितियों के विरुद्ध परिसमापन की प्रकिया आरंभ की जा चुकी है ।

(घ) केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सशक्त करने के लिए 64 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों की निगरानी को सशक्त करने के लिए केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को भी कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम**,** 2002 को संशोधित करने संबंधी एक विधेयक को भी संसद में पुर:स्थापित किया जा चुका है जो बहुराज्य सहकारी समिति की निगरानी को सशक्त करेगा। राज्यों के दिशानिर्देशों के संबंध में, सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक संबंधित अधिनियमों व नियमों के अनुसार कार्य करते हैं ।

*****